

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

दिनांक 19/01/2024

संख्या- 97 /सत्रह-म-2024-17-1099/9/2024

विषय- सदानीरा नदियों में मत्स्य आखेट हेतु पट्टा/ठेका नीलामी के लिए तकनीकी
दिशा- निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश की नदियों में मत्स्याखेट हेतु पट्टा/ठेका का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-1/2019/33/एक-2-2019 रिट/2018, दिनांक: 10.01.2019(छायाप्रति संलग्न) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली नदियों/ बहती जलधाराओं में मत्स्य आखेट प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त शासनादेश में वाणिज्य व्यवस्थानुसार संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तहसील में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय मत्स्य आखेट समिति के गठन का प्रावधान है। समिति द्वारा तहसील में प्रवाहित होने वाली नदी/बहती जलधाराओं में सर्वेक्षण कर मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन, ग्राम पंचायत अथवा आवागमन की सुगमता या नौका घाट आदि को सीमा विभाजक के रूप में संज्ञान में लेते हुए किया जाना है। समिति द्वारा नदियों/बहती जलधाराओं में मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन, मत्स्य मात्रा के निर्धारण एवं उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारण का कार्य प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में पूर्ण किया जाना निर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त शासनादेश में नदियों/बहती जलधाराओं की नीलामी/पट्टा आवंटन हेतु प्रक्रिया निर्धारित है तथा समितियों की पात्रता, वरीयता क्रम एवं अन्य प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख है, परन्तु नदियों के पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में जलधारा की क्षेत्र-सीमा (अधिकतम व न्यूनतम) निर्धारण के सम्बन्ध में कोई तकनीकी रूपरेखा (टेक्निकल फ्रेमवर्क) नहीं है, जिसके कारण विभिन्न जनपदों में उप जिलाधिकारियों द्वारा की जाने वाली पट्टा/नीलामी के समय

नदियों/बहती जल धाराओं के खण्ड बनाने में एकरूपता नहीं रहती है। तकनीकी फ्रेमवर्क के अभाव में नदियों/बहती जल धाराओं के मत्स्याखेट आवंटन में कुछ मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का एकाधिकार हो जाता है एवं अन्य मछुआरे/मत्स्य जीवी सहकारी समितियों पट्टे से वंचित रह जाती हैं। इस प्रकार एक ओर जहां उपलब्ध मत्स्य सम्पदा का युक्तिसंगत दोहन नहीं हो पाता है वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे निवासित मछुआ समुदाय जिनके जीवकोपार्जन का प्रमुख साधन मत्स्याखेट है, को रोजगार नहीं मिल पाता है साथ ही राजस्व प्राप्ति भी प्रभावित होती है।

3. मात्स्यिकी एवं नदी के किनारे निवासित मछुआ समुदाय को अधिकाधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि नदियों/जलधारा की क्षेत्र-सीमा निर्धारण हेतु तकनीकी फ्रेमवर्क तैयार किया जाय जिससे सदानीरा नदियों में मत्स्य सम्पदा का युक्तिसंगत दोहन व नदी के किनारे बसने वाले मछुआ समुदाय/मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा नदियों के आवंटन में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके और राजस्व की अधिक प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

4. उक्त के आलोक में नदियों/बहती जलधाराओं के ठेका/पट्टा आवंटन में एकरूपता लाने के लिए मानकों के विशिष्टीकरण हेतु मत्स्य विभाग के पत्रांक: 765/सह0शा0/नदी/मत्स्याखेट/ तक0दिशा-निर्देश/2023-24 दिनांक-01.12.2023 द्वारा एक तकनीकी कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी, विभाग के विशेषज्ञ अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के मत्स्य अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। तकनीकी कमेटी द्वारा नदी/बहती जलधाराओं पर मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को मत्स्याखेट पट्टा/ठेका हेतु विभिन्न मापदण्डों का युक्तिसंगत मानकीकरण करते हुए प्रस्ताव/ संस्तुति दी गयी है, जो निम्नवत है-

(1) आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में प्रवाहित नदियों/बहती जलधाराओं की लम्बाई लगभग 8808.77 कि०मी० है, जिसमें से मत्स्य आखेट हेतु उपयुक्त नदी/बहती जलधारा 4994.71 कि०मी० है। उक्त उपयुक्त नदियों/बहती जलधाराओं में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 1728.91 कि०मी० जलक्षेत्र का ही पट्टा हुआ है तथा 2845.33 कि०मी० जलक्षेत्र अभी भी पट्टे हेतु अवशेष हैं। उपरोक्त प्रवाहित नदियों/बहती जलधाराओं में से ऐसी सदानीरा नदियाँ जिनकी माह दिसम्बर में न्यूनतम चौड़ाई 100 मीटर अनुमानित है यथा-1. गंगा, 2. यमुना, 3. घाघरा/सरयू, 4. गंडक/नारायणी, 5. गोमती, 6. बेतवा, 7. केन, 8. रामगंगा, 9. राप्ती, नदी चिन्हित की गयी हैं।

(2) उपरोक्त चिन्हित 09 नदियों की लम्बाई लगभग 5526.47 कि०मी० है, जिसमें से मत्स्य आखेट हेतु उपयुक्त नदी/बहती जलधारा 3721.16 कि०मी० है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 1011.76 कि०मी० ही जलक्षेत्र का पट्टा हुआ है तथा 2017.18 कि०मी० जलक्षेत्र अभी भी पट्टे हेतु अवशेष है।

(3) उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्बन्धित जनपद की तहसील सीमा में प्रवाहित होने वाली नदियों/बहती जलधाराओं में मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन जल प्रवाह, मत्स्य सम्पदा की उपलब्धता तथा संधारणीय मात्स्यिकी (Sustainable Fisheries) के दृष्टिगत किया जाय।

(4) बड़ी नदियों यथा-गंगा, यमुना (यमुना एवं चम्बल के संगम-पचनदा, जनपद इटावा से डाउन स्ट्रीम), घाघरा/सरयू, रामगंगा व राप्ती में पांच-पांच कि०मी० का खण्ड पट्टे हेतु चिन्हांकित किया जाय।

(5) यमुना नदी (पचनदा, जनपद इटावा से गौतमबुद्ध नगर तक अप स्ट्रीम), छोटी नदियां यथा-केन, गोमती, बेतवा व गंडक/नारायणी में आठ-आठ कि०मी० का खण्ड पट्टे हेतु चिन्हांकित किया जाय।

(6) सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नदी/बहती जलधारा के मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन, मत्स्य मात्रा के निर्धारण एवं उसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारण कैलेण्डर वर्ष के 30 अप्रैल तक एवं चिन्हित मत्स्य आखेट क्षेत्रों में पट्टा/नीलामी 15 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय।

(7) नदी/बहती जलधारा के मत्स्य आखेट क्षेत्रों का चिन्हांकन, न्यूनतम मूल्य निर्धारण एवं पट्टा तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मत्स्याखेट समिति द्वारा किया जाता है। यदि चिन्हांकन में नदी की लम्बाई के मानक में कुछ कमी या बढ़ोतरी हो तो सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी एवं जनपद के मत्स्य अधिकारी, (सदस्य-सचिव) जनपद के जिलाधिकारी से मत्स्याखेट क्षेत्र की वास्तविक लम्बाई का अनुमोदन प्राप्त कर पट्टा/ठेका निस्तारित करेंगे, जिससे तहसील क्षेत्रान्तर्गत नदी का कोई भी खण्ड/क्षेत्र आवंटन हेतु अवशेष न रहे। उदाहरणस्वरूप यदि तहसील में किसी एक खण्ड की लम्बाई 5.00 कि०मी० सुनिश्चित नहीं हो पाती है एवं नदी/जलधारा की उपलब्धता 4.5 अथवा 5.5 कि०मी० होती है तो उसे भी एक ही खण्ड के रूप में चिन्हांकित कर पट्टा आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाय।

(8) नदी/जलधारा हेतु जनपद में निर्गत मत्स्याखेट पट्टों/ठेको की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय जिससे मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्यों के लिए नदियों में मत्स्य आखेट, प्रबन्धन एवं मत्स्य पालन तकनीकी हेतु प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम आयोजित करते हुए, उन्हें समसामयिक जानकारी प्रदान की जा सके। परिणामस्वरूप उनके तकनीकी ज्ञानवर्धन से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा लाभप्रद मात्स्यिकी का प्रोत्साहन हो।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तकनीकी समिति की उप

त संस्तुतियों का कड़ाई से अनुपालन तथा सदानीरा नदियों के पट्टा/ नीलामी की कार्यवाही तकनीकी समिति की संस्तुतियों के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by डा0

रजनीश दुवे

डा0 रजनीश दुवे 31/05/2024 19:55

Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 97(1)/सत्रह-म-2024, तददिनांक:

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) सचिव, उ० प्र० राजस्व परिषद, लखनऊ।
- (3) निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (4) समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ०प्र०।
- (5) मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० मत्स्य विकास निगम लि०, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि०, लखनऊ।
- (7) समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र०।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

अनु सचिव।